न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022 **जीसीएमएस मु.न. 2022/22**

अनवान

1. मृत वफी लछा वल्द रूपा जाति राजपूत निवासी कीलवा के कायम मुकाम व वारिसदारान रू–

अ– छगनकंवर बैवा लछा जाति राजपूत निवासी कीलवा।

ब– पवनकंवर पुत्री लछा जाति राजपूत निवासी कीलवा हाल हाडेचा तहसील चितलवाना।

स– कसुम्बीकंवर पुत्री लछा पत्नि केसरसिंह जाति राजपूत निवासी कीलवा हाल आजावाडा तहसील थराद जिला बनासकांठा (गुजरात)

द– सूबीकंवर पुत्री लछा पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी कीलवा हाल कीलुपीया तहसील सांचोर

य– उगमकंवर पुत्री लछा पत्नि पृथ्वीराजसिंह जाति राजपूत निवासी कीलवा हाल नारोली तहसील थराद जिला बनासकांठा (गुजरात)

र– जगतसिंह पुत्र लछा जाति राजपूत निवासी कीलवा तहसील सांचोर

ल– जोगसिंह पुत्र लछा जाति राजपूत निवासी कीलवा तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)

प्रार्थीगण......

01– भेरसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी बावरला तहसील सांचोर।

02– भूमिधारी तहसीलदार सांचोर तहसील सांचोर।

03– पटवारी पटवार हल्का कीलवा तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)

अप्रार्थीगण..........

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. श्री भगवती प्रसाद, श्री चेतन पुरोहित प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.06.2025

1. प्रार्थीयागण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके कथन संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पैतृक सम्पति क[illegible] के सरहद मौजा कीलवा में पुराना खेत खसरा संख्या 451 रकबा [illegible] बीघा 14 बीस्वा [illegible] 408 रकबा 22 बीघा 16 बीस्वा खसरा संख्या 454 रकबा 19 बीघा 13 बीस्वा, [illegible] 457 रकबा 28 बीघा 9 बीस्वा जुमले रकबा 75 बीघा 12 बीस्वा के आयें हुयें है। उक्त आराजी हम प्रार्थीगण के स्वर्गीय दादा/ससुर रूपा वल्द पांचाजी जाति रजपूत निवासी कीलवा की पैतृक सम्पति की आराजी आयी हुई है। परन्तु हमारे स्वर्गीय दादा/ससुर रूपा प्रथम सेटलमेन्ट के समय यानि सवंत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

2012 से पूर्व फौत हो चुके थे, इस कारण उक्त आराजी स्वर्गीय रूपा वल्द पांचाजी के तीन पुत्रगण कमंशः खंगारा, लछा, पुरा पि. रूपा के नाम खातेदारी दर्ज हुई, इस प्रकार प्रथम मिसल बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 से बखूबी प्रमाणित है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। हमारे पिता/पति लछा व उनके भाई खंगारा व पूरा के बीच उपरोक्त पैतृक सम्पति के खेतो का आपसी बंटवाडा होने पर हमारे पिता/पति लछा वल्द रूपा के बंट में पुराना खेत खसरा संख्या 408 से नवसृजित खसरा संख्या 549 रकबा 3.65 हैक्टर व खसरा संख्या 550 रकबा 0.04 हैक्टर जुमले रकबा 3.69 हैक्टर भूमि बंट में रखी गई तब से उक्त आराजी पर हमारे स्वर्गीय पिता/पति का व तत्पश्चात् हम प्रार्थीगण का लगातार आज दिन तक काश्त व कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त खेत का लगान भी हम प्रार्थीगण राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है तथा गिरदावरी भी हमारे नाम से होती चली आ रही है व उक्त खेत में हम प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणीयां आदी भी बनी हुई है तथा हम प्रार्थीगण का अन्दर मय परिवार निवास भी है। पुराना खेत खसरा संख्या 408 से नवसृजित खसरा संख्या 549 व 550 बाबत् मिलान क्षेत्रफल की नकल साथ पेश है हमारे पिता/पति लछा का देहान्त होने पर हम प्रार्थीगण ने खेत खसरा संख्या 549 रकबा 3.65 हैक्टर व खसरा संख्या 550 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि हमारे नाम नामान्तरकरण भरवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड देखकर हमे बताया कि आपके पिता लछा के नाम से कुल भूमि 3.69 हैक्टर न होकर मात्र 2.3160 हैक्टर भूमि दर्ज है तथा उक्त भूमि में से नवीन खसरा संख्या 1067/549 रकबा 1.29 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 01 भेरसिंह ने अपने नाम करवा दी, तब हमारे द्वारा उक्त भूमि के संबंध में तहसील कार्यालय से दिनांक 21–12–2021 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब हम प्रार्थीगण को मालूमात हुआ कि नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 15–07–2003 के अनुसार खसरा संख्या 1067/459 रकबा 1.29 हक्टर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 01 भेरसिंह के नाम दर्ज हुई है। तत्पश्चात् हम प्रार्थीगण द्वारा उपपंजियक कार्यालय संचोर में तहकीकात करने पर हम वादीगण को पुख्ता जानकारी हुई कि अप्रार्थीगण संख्या 01 ने हमारे स्वर्गीय पिता/पति के अनपढ का नाजायज फायदा उठाकर धोखे से छल कपट कर गिरवी (अडानखत) का झूठा मुगालता देकर हमारी पैतृक सम्पति भूमि का बैचान नामा करवा दिया है। तब आज से करीब 01 माह पूर्व हम प्रार्थीगण द्वारा गांव के मौजीज लोगो को लेकर अप्रार्थीगण संख्या 01 को उनके इस प्रकार भूमि अपने नाम करवा देने का औलमा दिया व पुनः भूमि हमारे नाम करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण संख्या 01 ने हम प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकियां दी कि खातेदारी मे[illegible] है, तथा मैं उक्त भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर तुम्हे मौके से बेदखल कर [illegible] प्रार्थना पत्र पेश करने की नौबत पैदा हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 01 [illegible] प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति का खेत खसरा संख्या 549 रकबा 3.65 हैक्टर भूमि में से [illegible]कबा 1.29 हैक्टर भूमि का बैचान दस्तावेज हमारे स्वर्गीय पिता/पति को धोखे में रखकर छल कपट करके गिरवी (अडानखत) का बहना बनाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 के नाम उक्त भूमि को तरमीम करवाकर खसरा संख्या 1067/549 रकबा 1.29 हैक्टर की खातेदारी उसके नाम दर्ज करवाने के पश्चात् हमारे स्वर्गीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

पिता/पति लछा की मृत्यु के पश्चात् हम प्रार्थीगण द्वारा हमारे नाम नामान्तरकरण भरवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर व तत्पश्चात् हमारे द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने के पश्चात् हम प्रार्थीगण को पुख्ता जानकारी होने के पश्चात् आज से करीब 01 माह पूर्व हम प्रार्थीगण ने गांव के मौजीज लोगो को लेजाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 को ओलभा दिया व भूमि पुनः हमारे नाम करवाने का कहने पर अप्रार्थीगण संख्या 01 उक्त भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर हमें मौके से बेदखल करवाने की ऐलानियां धमकियां देने पर वमुकाम कीलवा/सांचोर पैदा हुआ। वादग्रस्त आराजी हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है, किन्तु अप्राथी संख्या द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता/पति के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर भूमि गिरवी (अडानखत) करवाने का झूठा मुगालता देकर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी है तथा खातेदारी के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को आगे से आगे अन्य व्यक्ति को बैचान कर हम प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दी है जबकि मौके पर लगातार आज दिन तक हम प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी में काश्त व कब्जा है तथा मौके पर हमारी रहवासीय ढाणीयां बनी हुई है। इस प्रकार का सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण हम प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका नहीं गया तो अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर हमें बेदखल करवा देंगें। जिससे हम प्रार्थीगण को तरह तरह के मुकदमेंबाजी मे उलझना पडेगा तथा हमें आपार क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों पैसों में किया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार तीनो कानूनी मूलभूत स्तम्भ हम प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्याय संगत होने से प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाकर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावे कि मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक वाके सरहद मौजा कीलवा के खेत संख्या 1067/549 रकबा 1.29 हैक्टर किसी अन्य व्यक्ति को बैचान या हस्तान्तरण या रहन नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीगण कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलअंदाजी करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

2. उक्त प्रकरण दिनांक 15.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाकर तलब किया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश [illegible] अवतरण संख्या 1 का जबाव इस कदर है कि अवतरण में वर्णित आराजी ग्राम कीलवा में स्थित है उसका मूल खातेदार लछा पुत्र रूपा जाति राजपूत निवासी कीलवा [illegible] जिससे अप्रार्थी ने जरिये बैचान दस्तावेज कमांक 208/2003 दिनांक 18.06.2003 को अवतरण में वर्णित आराजी के नवीन खसरा नम्बर 349 रकबा 3.65 हैक्टर में से 1.29 हैक्टर भूमि खातेदार लछा से खरीदकर बेचानकर्ता लछा को पूर्ण प्रतिफल अदा कर अप्रार्थी ने कब्जा प्राप्त किया था। अवतरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित आराजी लछा पुत्र रूपा की स्वअर्जित थी तथा उसे अवतरण में वर्णित आराजी को घरेलू आवश्यकताओं की पुर्ति हेतु बैचान करने का पूर्ण अधिकार था लछा पुत्र रूपा की स्वअर्जित होने से उनके जीवनकाल में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है अतः खसरा नम्बर 549 रकबा 3.65 हैक्टर में से 1.29 हैक्टर जिसके नवीन खसरा नम्बर 1067/549 का अप्रार्थी वैधानिक खातेदार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या 2 का जबाव इस कदर है कि यह बात सही है कि खसरा नम्बर 549 लछा पुत्र रूपा के नाम का था जिससे अप्रार्थी ने पूर्ण प्रतिफल ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर 1.29 हैक्टर खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तथा अप्रार्थी के नाम नवीन खसरा नम्बर 1067/549 रकबा 1.29 हैक्टर का इन्द्राज किया जिस बाबत प्रार्थीगण को वाद लाने का कोई विधिक अधिकार नही रहता है क्योकि मूल खसरा नम्बर 549 भी मूल खातेदार लछा की स्वअर्जित सम्पति है, इसके अलावा नवीन संशोधित उतराधिकरण अधिनियम अनुसार भी 20.12.2024 से हक अधिकार नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है जबाव इस कदर है कि अप्रार्थी ने वैचानकर्ता लछा को पूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि खरीद की है यदि उनके साथ कोई धोखाधडी की होती तो प्रार्थीगण नियत समय में कोई वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र थे लेकिन प्रार्थीगण ने दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में न तो चुनौती दी है तथा न ही कोई फौजदारी मुकदमा ही दर्ज करवाया है। प्रार्थीगण मूल वैचानकर्ता लछा के फौत होने के बाद तथा दस्तावेज बैचान करवाने के करीब 19 वर्षो बाद यह दावा किया है जो चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है विस्तृत जबाव पूर्व के अवतरणो में दिया जा चुका है। वाद पत्र का अवतरण संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 6 के तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है वादग्रस्त आराजी बाबत प्रार्थीगण कोई अधिकार नही मिलता है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी की खरीदसुदा, कब्जा काश्त, हक अधिकार की है तथा अस्थायीनिषेधाज्ञा की तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी भेरसिंह के पक्ष मे है। प्रार्थीगण के इस प्रकार के आचरण व व्यवहार से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष गलत व भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर अप्रार्थी भेरसिंह के विरूद्ध आदेश ले रखा है ऐसे आदेश निरस्तनीय है। अतः निवेदन है कि श्रीमान न्यायालय हाजा द्वारा जारी किया गया एक पक्षीय आदेश निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के साथ न्याय करावे।

4. मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। अतः हम प्रकरण में अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के संबंध में विवेचन किया जाना उचित समझते है। विवेचन निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

मामला प्रथम दृष्टया– प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार लछा की जायंदा कानूनीया वारिस होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकडेर्ड खातेदार तो है परंतु वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व खातेदार होने के नाते उक्त वादग्रस्त आराजी में उनके वारिसान का कण–कण

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

में हिस्सा मौजूद है तथा वादग्रस्त आरजी का प्रार्थीगण का कब्जा का एवं रहवासी ढ़ाणी भी बनी हुई है इस प्रकार प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला उनके पक्ष में बखूबी सिद्ध होता है।

<u>सुविधा का संतुलन–</u> प्रार्थीयागण उक्त वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त होना एवं रहवासी ढ़ाणी होने का कथन किया है तथा मौके पर लगातार प्रार्थीयागण का कब्जा का चला आ रहा है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में बखूबी सिद्ध होता है।

<u>अपूर्णीय क्षति–</u> पूर्व विवेचित बिंदु प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी गण के पक्ष में साबित हो चुके हैं वादग्रस्त आरजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर वाद की बहुलता बढ़ेगी तथा पक्षकारों को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है अतः यह बिंदु बहक प्रार्थीयागण साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधि संगत समझते हैं

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

:– आदेश :–

5. अतः विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों कानूनी बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा किलवा पटवार हल्का किलवा के खसरा नंबर 1067/549 रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण किसी अनजबी क्रेता को बैचान, हस्तान्तरण, रहन नहीं करे व मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को सर ए इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner